

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 135/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

बाल किशुन मंडल ----- प्रथम पक्ष

बनाम्

देवन्ती देवी एवं अन्य ----- द्वितीय पक्ष

आदेश

01-11-24

प्रथम पक्ष बालकिशुन मंडल पिता सोमर मंडल के आवेदन पर थाना प्रभारी, सरिया के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में निम्नलिखित विवरण वाले भूमि पर भू-विवाद के कारण भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत दिनांक 03.09.2024 को निषेधाज्ञा प्रवृत्त किया गया तथा उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य किए जाने से प्रतिबंधित किया गया।

मौजा- मंदरामों, थाना- सरिया, जिला- गिरिडीह

खाता नं0- 164, प्लॉट नं0- 734, रकबा- 3.25 डी0

चौहद्दी : उ0- रास्ता, द0- दामोदर मंडल, पू0- उतवा सुण्डी, प0- निज बालकिशुन मंडल

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई। उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना-अपना पक्ष रखा।

प्रथम पक्ष के अनुसार विवादग्रस्त जमीन उनकी खतियानी भूमि है खतियान रेवा सुण्डी एवं लडु सुण्डी के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि की जमाबन्दी अंचल कार्यालय में रेवा सुण्डी के नाम से पंजी-II के Volume No.- 1 पृष्ठ सं0- 144 में कायम है तथा राजस्व रसीद 2024 तक निर्गत है। द्वितीय पक्ष के नींव कोड़कर कब्जा करने के प्रयास के कारण विवाद उत्पन्न हुआ। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में एक नक्शा की छायाप्रति, एक लगान रसीद की छायाप्रति, Online पंजी-II की छायाप्रति संलग्न करते हैं।

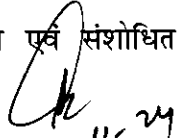
वही दुसरी ओर द्वितीय पक्ष का कहना है कि उक्त भूमि उन्हें निबंधित विक्रय पत्र द्वारा हासिल है। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में एक निबंधित विक्रय पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हैं।

प्रस्तुत कागजातों तथा कारण पृच्छा के अवलोकन अध्ययन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उभय पक्ष एक ही जमीन पर अलग-अलग आधार पर

दावा करते हैं। उक्त दावा के आधार पर यह विवाद स्वत्व (Title) से जुड़ा प्रतीत होता है। भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 में स्वत्व (Title) से संबंधित विवाद का विवेचन अधोहस्ताक्षरी के क्षेत्राधिकार में नहीं है अतः उक्त नियमन के तहत किसी पक्ष के हित में कोई अंतिम आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं होगा। उभय पक्ष वाद के निपटारे हेतु सक्षम न्यायालय जाने को स्वतंत्र हैं एवं निपटारे तक क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे।

उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित



01-11-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया



01-11-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया